न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़ जिला (राज.)

पीठासीन अधिकारी – आलोक रंजन (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
002/2025(गौवंश) (GCMS 2025/76)	01.04.2025	30.04.2025

अनवान

राजस्थान सरकार जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ (राजस्थान)

प्रार्थी

बनाम

1. सुभान खा पिता चांद खा जाति मुसलमान उम्र वयस्क निवासी लसाडिया खुर्द तहसील एवं थाना राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
2. दुर्गासिंह पिता रघुनाथ सिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क लसाडिया खुर्द तहसील एवं थाना राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
3. लालाराम उर्फ देवीलाल पिता भैरूलाल जाति सालवी उम्र वयस्क लसाडिया खुर्द तहसील एवं थाना राशमी जिला चित्तौड़गढ़।

विपक्षीगण

उपस्थिति :–	सहायक अभियोजन अधिकारी	प्रार्थी
	राकेश तेली	अप्रार्थी संख्या 1,2
	भैरूलाल वैष्णव	अप्रार्थी संख्या 3

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 6'क' राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) नियम, 1995

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि थानाधिकारी पुलिस थाना राशमी जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा पुलिस थाना राशमी में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 122/2024 दिनांक 16.05.2024 अपराध अन्तर्गत धारा 3, 6, 8 व 9 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 1995 में जब्तशुदा वाहन **RJ 09 GC 7997** के निस्तारण बाबत् अधिनियम 1955 की धारा 6 'क' के तहत विपक्षीगण के विरूद्ध प्रकरण प्रस्तुत किया गया।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। दिनांक 16.04.2025 को विपक्षी संख्या 1 व 2 की और से एवं को विपक्षी संख्या 3 की और से उनके अधिवक्ता हाजिर आये एवं अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है, अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा प्रकरण में जवाब

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पेश किया गया जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड है। प्रकरण में बहस उभयपक्षकारान सुनी गई।

पुलिस थाना राशमी में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 122/2024 दिनांक 16.05.2024 अपराध अन्तर्गत धारा 3, 6, 8 व 9 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 1995 में जब्तशुदा वाहन जिसके रजिस्ट्रेशन संख्या **RJ 09 GC 7997** के संबंध में प्रार्थी देवीलाल पिता भैरूलाल जाति सालवी निवासी लसाडिया खुर्द तहसील व थाना राशमी जिला चित्तौड़गढ़ ने जब्तशुदा वाहन को प्रार्थी अधिकृत/वाहन स्वामी को सिपुर्द किये जाने बाबत् प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 457–451 जा0फौ के तहत प्रस्तुत किया गया है जिसके प्रकरण संख्या 033/2024(रे.वि.) दर्ज रजिस्टर होकर लम्बित है, उक्त प्रार्थना–पत्र के प्रार्थी हस्तगत प्रकरण के अप्रार्थी संख्या 3 है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र में निवेदन किया गया है कि प्रार्थी वाहन का अधिकृत वाहन स्वामी है तथा पुलिस थाना राशमी में वजह सबूत अपनी तहवील में ले रखा है, जिसका प्रार्थी एक मात्र अधिकृत वाहन स्वामी है। जब्तशुदा वाहन की पुलिस थाना राशमी को कोई आवश्यकता नहीं है, उक्त वाहन की मासिक किश्ते प्रार्थी को उक्त वाहन से ही कमा कर अदा करनी होती है, यदि वाहन समय रहते नहीं छुटा तो प्रार्थी को अकथनीय आर्थिक क्षति होगी तथा प्रार्थी गरीब परिवार का है तथा उस पर परिवार की जिम्मेदारिया है एवं प्रार्थना की गई कि प्रार्थी को जब्तशुदा वाहन को सिपुर्दगीनामें व जमानतनामा पर सिपुर्द किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 457–451 जा0फौ के तहत प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर पुलिस थानाधिकारी पुलिस थाना राशमी जिला चित्तौड़गढ़ से प्रार्थना–पत्र पर टिप्पणी/अभिमत प्राप्त किया गया। इस पर पुलिस थाना थानाधिकारी पुलिस थाना राशमी जिला चित्तौड़गढ़ से पत्रांक/02 दिनांक 01.01.2025 से टिप्पणी/अभिमत प्रेषित किया गया है जो कि प्रकरण संख्या 033/2024(रे.वि.) में शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। थानाधिकारी पुलिस थाना राशमी जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा अवगत कराया गया कि प्रकरण में राजस्थान गौवंशीय पशु अधिनियम, 1955 में अपराध प्रमाणित पाये जाने से चार्जशीट श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट राशमी में दिनांक 11.07.2024 पेश किया जा चुका है तथा वाहन के संबंध में कोई अनुसंधान शेष नहीं है एवं आवश्यकता नहीं है।

हस्तगत दोनों प्रकरणों के पुलिस थाना राशमी जिला चित्तौड़गढ़ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 122/2024 दिनांक 16.05.2024 में जब्तशुदा वाहन के निस्तारण का प्रश्न निहित है, ऐसी स्थिति उक्त दोनो प्रकरणों में एक साथ सुनवाई की जाकर निर्णय पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है। दोनो प्रकरणों में एक साथ सुनवाई की जाकर उभयपक्षकारान द्वारा की गई बहस पत्रावली को सुना गया। अभियोजन अधिकारी द्वारा कथन किया गया कि अप्रार्थीगण द्वारा राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन)(संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 6 'क' के अनुसार इस अधिनियम के अधीन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दण्डनीय अपराध किया जाये तो ऐसा अपराध करने के लिये उपयोग में लाया गया प्रवहन का कोई भी साधन अधिहरण के दायित्वाधीन होता है जिला कलक्टर सक्षम प्राधिकारी होने के नाते उक्त वाहन के अधिहरण के आदेश फरमाया जाकर जब्तशुदा वाहन को अधिहरण किया जावें।

इस पर विद्वान अधिवक्ता विपक्षी (प्रार्थना–पत्र 033/2024 (रे.वि.) द्वारा कथन किया गया कि प्रार्थी उक्त वाहन का अधिकृत स्वामी है। अधिनियम की धारा 6(क) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार उक्त वाहन की सिपुर्दगी प्रार्थी को दी जावें। प्रार्थी द्वारा उक्त वाहन से कोई अवैध गौवंश का परिवहन नहीं किया जा रहा था, अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रकरण में जब्तशुदा वाहन संख्या **RJ 09 GC 7997** के आवश्यक दस्तावेज होने रिलीज करने का कृपा करावें। राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन)(संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 6(क) की उप–धारा (2) के तहत प्रवहण के साधन के स्वामी को जुर्माने का संदाय करने का विकल्प फरमाया जावें। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता विपक्षी ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व की गई।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। उभय पक्ष की द्वारा बहस का चित्त मन से शांतिपूर्वक चिंतन–मनन किया। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रकरण में पुलिस रिपोर्ट अनुसार वाहन में जिसमें एक बछडा भरा हुआ था। बछडे के पैर व मुंह रस्सी से बांधे हुये थे व बछडे को पिकअप में पटक रखा था। बछडे के घुटनों पर रगड के ताजा निशान हो नाक से हल्का खून निकला हुआ था। गौवंश(बछडा) पीडादायक स्थिति में पैरों सहित बंधे हुये पाये गये। परिवहन के संबंध में अभियुक्तगण द्वारा वैद्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये है। इसी कारण से अपराध धारा 5, 6, 8 व 9 राजस्थान गौवंशीय पुश अधिनियम, 1955 के अर्न्तगत होना दर्शित है। प्रार्थी द्वारा गौवंश के अवैध परिवहन व बिना सक्षम स्वीकृति के परिवहन की पुष्टी होती है, जबकि विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने अपनी मौखिक बहस में उक्त तथ्यों को अस्वीकार कर बताया कि गौवंश(बछडे) को गांव वालों ने रोक कर कहा की बछडो बीमार है इसलिये राशमी पशु चिकित्सालय में ले जाकर ईलाज कराना है। इसलिये मानवता के नाते ईलाज हेतु रवाना किया। बीच में असामाजिक तत्वों द्वारा झूठी अफवाह फैलाकर पुलिस थाना को सूचना दी गई, एवं गौवंश(बछडे) के साथ में किसी भी प्रकार से कोई निर्दयता नहीं की गई है तथा बछडा पूरी तरह से स्वस्थ है।

हमने संशोधन अधिनियम 2018 के प्रावधानों का चिंतन–मनन किया। हस्तगत प्रकरण में जब्तशुदा वाहन से कुल 01 गौवंश(बछडा) बरामद किये गये है, हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अपने अभिवचनों की पुष्ठि में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य/मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई। जबकि थानाधिकारी पुलिस थाना राशमी द्वारा अवगत कराया गया है कि वाहन में बछडे के पैर व मुंह रस्सी से बांधे हुये थे व बछडे को पिकअप में पटक रखा था। बछडे के घुटनों पर रगड के ताजा निशान हो नाक से हल्का खून निकला

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हुआ था। गौवंश(बछडा) पीडादायक स्थिति में पैरों सहित बंधे हुये पाये गये, ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण के कथनों को स्वीकार किये जाने का पत्रावली पर कोई ठोस आधार नहीं है कि अप्रार्थीगण उक्त बछडे को ईलाज हेतु पशु चिकित्सालय ले जा रहे थे, यह तथ्य ठोस दस्तावेजी/मौखिक साक्ष्य का मोहताज है, ऐसी स्थिति में गौवंश को जबरदस्ती क्रूरतापूर्वक बूचडखाने में कटने के लिए बेचने के लिए उक्त कृत्य किया जाना संभाव्य प्रतीत होता है, ऐसी स्थिति में राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 1995 एवं संशोधन अधिनियम, 2018 की धारा 6 'क' के अनुसरण इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध किया जाये तो ऐसा अपराध करने के लिये उपयोग में लाया गया प्रवहन का कोई भी साधन अधिहरण के दायित्वाधीन होने से प्रकरण में जब्तशुदा वाहन का अधिहरण किया जाना उचित प्रतीत होता है एवं हस्तगत प्रकरण के अप्रार्थी संख्या 3 जो कि प्रकरण में जब्तशुदा वाहन स्वामी है, एवं अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा जब्तशुदा वाहन को अपनी सिपुर्दगी में दिये जाने हेतु आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जिसके प्रकरण संख्या 033/2024(रे.वि.) है को खारीज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर हस्तगत पुलिस थाना राशमी जिला चित्तौड़गढ़ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 122/2024 दिनांक 16.05.2024 अपराध अन्तर्गत धारा 5, 6, 8 व 9 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 1995 में जब्तशुदा वाहन के संबंध में प्रार्थी देवीलाल पिता भैरूलाल जाति सालवी निवासी लसाडिया खुर्द तहसील व थाना राशमी जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 457–451 जा0फौ0 जिसके 033/2024 (रे.वि.) को खारीज किया जाता है एवं प्रकरण में जब्तशुदा वाहन जिसके रजिस्ट्रेशन **RJ 09 GC 7997** को राजसात **(Confiscate)** करने के आदेश दिये जाते हैं। जिलापरिवहन अधिकारी, चित्तौड़गढ़ बाद गुजरने मियाद अवधि के जब्तशुदा वाहन थानाधिकारी पुलिस थाना राशमी से वाहन **RJ 09 GC 7997** को प्राप्त कर नियमानुसार विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार जरिये निलामी के निस्तारण कर प्राप्त आय को राजकोष में जमा कराया जावें। निर्णय की प्रमाणित प्रति प्रार्थना–पत्र में शामिल पत्रावली किया जावें। निर्णय की प्रति जिला परिवहन अधिकारी चित्तौड़गढ़, एवं थानाधिकारी पुलिस थाना राशमी को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **30.04.2025** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official